

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-21112023-250180
SG-DL-E-21112023-250180असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 342]	दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 20, 2023/कार्तिक 29, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 293
No. 342]	DELHI, MONDAY, NOVEMBER 20, 2023/KARTIKA 29, 1945	[N. C. T. D. No. 293

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 नवम्बर, 2023

विषय :- ग्रेप - IV के दौरान दिल्ली में सीएनजी/ इलेक्ट्रिक और बीएस-6 के अलावा दिल्ली में सभी यात्री बसों के प्रवेश पर प्रतिबंध के संबंध में।

फा.सं. टीपोटी/एएस/मिस-4/2021/075681535/105119.—जहाँ, दिल्ली में वायु की गुणवत्ता 'गंभीर' है और दिल्ली में वायु प्रदूषण के चिंताजनक स्थिति से निपटने के लिए तत्काल उपायों की आवश्यकता है। इसलिए, व्यापक जनहित में प्रदूषण फैलाने वाली अंतरराज्यीय बसों की दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक महसूस किया गया है।

जहाँ, वाहन संबंधी वायु प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए सार्वजनिक हित में आपातकालीन आधार पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 के प्रावधानों के तहत ऐसे प्रतिबंधों को लागू करने की आवश्यकता है और उल्लंघनकर्ताओं को सरकारी आदेशों की अवहेलना के लिए दंडित किया जाएगा।

इसलिए, मोटर वाहन अधिनियम 1988, (1988 का 59) की धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 115 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, इसके द्वारा आदेश करते हैं

कि ग्रेप - IV को और अधिक कठोर बनाने के लिए ग्रेप - IV के तहत CAQM द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के साथ-साथ सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंधों को भी सही तरीके से लागू किया जाए :-

अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली सीएनजी/ इलेक्ट्रिक या बीएस- VI डीजल बसों को छोड़कर अन्य सभी बसों समाहित ऑल इंडिया टूरिस्ट बसों/कॉन्टैक्ट कैरिज बसों/राज्य परिवहन बसों या किसी अन्य प्रकार की परमिट धारित बसों का दिल्ली में प्रवेश ग्रेप - IV लागू होने पर प्रतिबंधित होगा।

दिल्ली राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशित होने की तिथि से, जब भी ग्रेप - IV लागू किया जाता है, उपयुक्त प्रतिबंध स्वचालित रूप से लागू हो जाएंगे, और यदि ग्रेप - IV रद्द कर दिया जाता है, तो उक्त प्रतिबंध स्वचालित रूप से समाप्त हो जाएंगे, अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

आदेश द्वारा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के

उपराज्यपाल के नाम पर,

आशीष कुंद्रा, प्रमुख सचिव सह आयुक्त परिवहन

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 20th November, 2023

Sub:- Restriction of entering all passenger buses in Delhi except CNG / Electric and BS-VI during GRAP IV regarding.

F. No. TPT/AS/STA/Misc.-4/2021/075681535/105119.—Whereas, air quality in Delhi is ‘severe’ and urgent measures are needed to tackle the alarming situation of Air Pollution gripping Delhi. It has, therefore, been felt necessary in larger public interest to invoke restrictions in movement of polluting inter-state buses.

Whereas, such restrictions are required to be invoked under the provisions of Section 115 of Motor Vehicle Act 1988 in public interest on emergent basis to mitigate the effect of air vehicular pollution and violators will be penalized for defying Government orders.

Hence, in exercise of the powers conferred by Section 115 read with Clause (41) of Section 2 of the Motor Vehicles Act 1988, (59 of 1988), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby orders that the following restrictions be implemented in right earnest by all the agencies concerned in addition to restrictions imposed by CAQM under GRAP IV to make GRAP IV more stringent:-

Entry of all buses, including All India Tourist buses / Contract Carriage buses / State Transport Buses or holding any other kind of permit into Delhi from other States except CNG / Electric or BS-VI diesel buses will be restricted as and when GRAP IV invokes.

The above mentioned restrictions shall stand automatically applicable, as and when GRAP - IV is invoked from the date of issuance of this order in Delhi Gazette, and if the GRAP IV is revoked the said restrictions stand terminated automatically, no separate order will be issued.

By Order and in the Name of The Lieutenant
Governor of The National Capital Territory of Delhi,

ASHISH KUNDRA, Pr. Secy. cum-Commissioner (Transport)